



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदित छात्र/छात्राओं से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 63/2018

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदित छात्र/छात्राओं के डाटा (नाम,पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, आदि) में त्रुटि संशोधन के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। त्रुटि संशोधन के लिए छात्र/छात्राओं से संबंधित चेकलिस्ट विद्यालय/महाविद्यालय के लॉग-इन में डाल दिया गया है। त्रुटि संशोधन से संबंधित निर्देश निम्नप्रकार है:-

- 1) विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराये गये आई-डी एवं पासवर्ड का उपयोग कर 'Print registration correction checklist' Tab के द्वारा चेकलिस्ट एवं प्रपत्र को डाउनलोड करना होगा। छात्र/छात्रा के फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में डाटा भरकर देना अनिवार्य है।
 - 2) ध्यातव्य हो कि चेकलिस्ट एक बार ही डाउनलोड किया जा सकता है।
 - 3) चेकलिस्ट का प्रिंट निकालकर, जो भी संशोधन हो उसमें किया जाएगा।
 - 4) संशोधन किए जाने के उपरान्त उक्त चेकलिस्ट पर सभी छात्र/छात्रा से हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा जिससे यह ज्ञात हो सके कि छात्र/छात्रा द्वारा अपनी सम्पूर्ण विवरणी जांच कर ली गई है एवं उसमें कोई त्रुटि नहीं है।
 - 5) चेकलिस्ट में संशोधन करने के उपरान्त सभी विद्यालय/महाविद्यालय को उक्त चेकलिस्ट दिनांक 16.11.2018 से 26.11.2018 तक परिषद् कार्यालय राँची, क्षेत्रीय कार्यालय दुमका या प्रमण्डलीय कार्यालय पलामू में जमा करना अनिवार्य होगा।
 - 6) **उक्त तिथि के पश्चात् संशोधन सशुल्क किया जा सकेगा।**
विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि चेकलिस्ट को डाउनलोड कर छात्र/छात्राओं की विवरणी का मिलान करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय। चेकलिस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा के हस्ताक्षरोपरान्त ही परिषद् कार्यालय में जमा लिया जायेगा। **निर्धारित तिथि के उपरान्त चेकलिस्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
- * इंटर महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्रधान को सूचित किया जाता है कि पंजीयन चेकलिस्ट के साथ ऑनलाइन जमा किए गए पंजीयन से संबंधित चालान एवं समेकित विवरणी जमा करना अनिवार्य होगा।**

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/गो.-1907/17-SECY-588/18,
Dt. 08.11.2018
D.O.P: 09.11.2018

